अतिआवश्यक /समयसीमा/

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/समन्वय/ 2012/ 429 — भोपाल, दिनांक: 06 /08/2012

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश ।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश ।

विषयः—मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के कियान्वयन बाबत ।

संदर्भः—म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, का पत्र कमांक एफ 10—08/2011/सत्रह/मेडि—2 दिनांक 01 अगस्त 2012 ।

———0000———

शासन संदर्भित पत्र के साथ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग के टीप कमांक 901/2012/लोसेप्र/61/ दिनांक 28.07.2012 में लोक सेवा केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये है । सदर्भित पत्र के साथ सलंग्न प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का गम्भीरता से अध्ययन कर चाही गई जानकारी **तीन दिवस के अन्दर संचालनालय को भिजवायें** ।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम संबधी कार्य मा.मुख्यमत्री जी की प्राथमिकता का है । शासन एवं संचालनालय स्तर से समय समय पर जारी समस्त निर्देशों को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है उक्त समस्त निर्देशो का अध्ययन कर, विभाग की 03 सेवाओं के संचालन का कार्य समयसीमा मे करना सुनिश्चित करे ।

Shri Thomas
Put on web site

(डॉ. अशोक शर्मा)
संचालक (समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक 4/समन्वय/ 2011/430 — भोपाल, दिनांक:.06 /08/2011

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—,

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।

संचालक (समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 10–8/2011/सत्रह/मेडि–2, भोपाल, दिनांक अगस्त, 2012

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाऐं,
मंध्य प्रदेश, भोपाल।

विषयः– म0प्र0 लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 के क्रियान्वयन बाबत् ।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लोक सेवा प्रबंधन विभाग से प्राप्त टीप दिनांक 28.07.2012 की छायाप्रतियॉ संलग्न प्रेषित है।

कृपया लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा चाहेनुसार जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(पी0एन0 शर्मा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 10–8/2011/सत्रह/मेडि–2, भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2012

प्रति,

डॉ0 बी0एन0 चौहान, संयुक्त संचालक(समन्वय), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल की ओर कृपया टीप में अंकित बिन्दुवार जानकारी आज ही इस विभाग को भेजते हुए कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करे।

DD/08 (Co-ord) जानकारी तत्काल प्रस्तुत करें

4/8/12

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

15908 1-8-12

/ 65 / 8/1/2012 / 12:47:30 AM

उर्वीस २ सचिवालय

विषयः —लोक सेवा केन्द्रों के संचालन विषयक।

का विभाग

———————000———————

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 21.6.2012 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित 5 बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने साफ्टवेयर (Web based Online) तैयार कर जानकारी दर्ज करने हेतु निर्देश सभी विभागों को नोटशीट क्रमांक 839 दिनांक 13.7.12 के माध्यम से जारी किए गये थे :—

1. पदाभिहित अधिकारी के पास कम्प्यूटर उपलब्धता
2. उपलब्ध कम्प्यूटर के संधारण के लिए AMC हेतु बजट की व्यवस्था
3. पदाभिहित अधिकारी FAO/SAO के कार्यालय में कम्प्यूटर पर की उपलब्धता
4. इंटरनेट के मासिक बिल भुगतान हेतु राशि की व्यवस्था
5. डिजिटल सिग्नेचर हेतु राशि की व्यवस्था

विभाग के पदाभिहित अधिकारियों के यूजर एवं कार्यक्षेत्र की मेपिंग की कार्यवाही सम्बंधी प्रमाण–पत्र।

इसके साथ ही नोटशीट पर निम्नलिखित विषयों पर विभागों से परिपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया था :—

1. विभाग से संबंधित पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी को कम्प्यूटर बेसिक एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण देने के संबंध में।
2. टेलीफोन एवं ब्राडबेंड कनेक्शन प्राप्त करने हेतु जिला अधिकारी को सशक्त करने के संबंध में व्यवस्था करना एवं आवश्यक होने पर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर व्यय सीमा/स्वीकृति अधिकारों का प्रत्यायोजन करना।
3. कम्प्यूटर AMC करने की व्यवस्था का निर्धारण।
4. टेलीफोन एवं ब्राडबेंड पर होने वाले मासिक व्यय की सीमा बढ़ाने के संबंध में।

कब्वीस -२ सचिवालय

विषयः

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वा. एवं परि. कल्याण (शाखा-2)
पंजी क्र. 1666
दिनांक 31/7/2012

का विभाग

5. पदाभिहित अधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का निर्धारण।

कार्यालयीन नोटशीट क्रमांक 684/लोसेप्र/61, भोपाल दिनांक 31.05.2012 द्वारा चाहा गया था कि विभाग जिलों से पुष्टि करें, प्रमाण-पत्र कि उसकी अधिसूचित समस्त सेवाओं के पदाभिहित अधिकारियों के यूजर एवं पासवर्ड बना लिए गए है एवं प्रत्येक अधिकारी के कार्यक्षेत्र की सॉफ्टवेयर पर मेपिंग हो गई है।

उक्त सभी बिंदुओं पर एक समीक्षा बैठक दिनांक 06 अगस्त 2012 दोपहर 3.00 बजे से मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक-315 में रखी गई है। कृपया जानकारी सहित उपस्थित होने का कष्ट करें।

(इकबाल सिंह बैंस)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

क्रमांक 901/2012/लो.से.प्र./61 भोपाल, दिनांक 28/7/2012

प्रतिलिपि-

अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

गृह/वित्त/वन/सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ श्रम/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ऊर्जा/सामाजिक न्याय/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/किसान कल्याण एवं कृषि विकास/परिवहन/महिला एवं बाल विकास/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/सूचना प्रोद्योगिकी विभाग।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

SO II
30/7/12